दिनांक– 06/10/2022 को मुख्य विकास अधिकारी महोदया, की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

1. अ – उपस्थिति – संलग्नक परिशिष्ट – क

ब. स्थान–विकास भवन सभागार पिथौरागढ़, समय–12:00 बजे अपरान्ह

सर्वप्रथम कृते महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी महोदया (प्रभारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़) एवं सदन में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डानुरूप निम्नवत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. **एम0एस0एम0ई0 2015 के दावों की स्वीकृति पर विचारः–**

(क) 10% ब्याज उपादान एवं 40 प्रतिशत राज्य पूंजी उपादान :–

1. सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदया, एवं समिति को अवगत कराया गया कि 10 प्रतिशत ब्याज उपादान के 14 दावें एवं 40 प्रतिशत पूंजी उपादान के 04 दावें प्राप्त हुए हैं जिन्हें समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। साथ ही अवगत कराया गया कि दिनांक 12/09/2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की बैठक में जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जिन इकाइयों के 10 प्रतिशत ब्याज उपादान के दावें एवं 40 प्रतिशत राज्य पूंजी उपादान के दावें प्राप्त हुए हैं उनसे इकाई के कार्यरत होने के प्रमाण में चालू वित्तीय वर्ष की वैलेंस शीट एवं विद्युत बिलों एवं चालान बिल, कच्चा माल एवं तैयार माल के बिलों की सत्यापित प्रति प्राप्त की जाए जिससे इकाई के उत्पादनरत होने का प्रमाण प्राप्त किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, द्वारा इकाइयों से प्राप्त प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया एवं निर्देश दिए गए कि जिला उद्योग केन्द्र के संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी जिनके द्वारा इकाई का निरीक्षण किया गया है तथा दावों में संस्तुति प्रदान की गई है वे जिलाधिकारी महोदय, के निर्देशानुसार प्राप्त प्रपत्रों की जाँच आख्या एवं जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करेंगे, तदोपरान्त दावों में समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
2. अध्यक्ष महोदया, द्वारा उक्त बैठक में निर्देशित किया गया कि स्टेट बैंक गंगोलीहाट द्वारा मैसर्स होटल शैलशा, रिसोर्ट पाताल भुवनेश्वर, प्रो0 श्री पवन कुमार जोशी खाता संख्या–35276823351 को स्वीकृत टर्म लोन में 15.65 प्रतिशत की ब्याज दर अध्यारोपित की गई है जोकि वर्तमान में अन्य बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज दर से कहीं अधिक है, जिसमें महोदया, द्वारा उक्त बैंक से स्थिति स्पष्ट करवाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
3. सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एक इकाई मैसर्स मीना पौल्ट्री फॉर्म ग्राम व पोस्ट–पुराण का ब्याज उपादान का दावा दो वर्ष पश्चात् बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस संबध में जिलाधिकारी महोदय, द्वारा दिनांक 12/09/2022 को बिलम्ब से उक्त दावें के प्राप्त होने के संबंध में जांच करने एवं सेवानिवृत्त क्षेत्रीय अधिकारी श्री एम.एल. शाह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें, श्री शाह का उक्त निर्देशों के क्रम में स्पष्टीकरण लिया गया जो समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2015 के पैरा संख्या–06 में ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तु करने एवं स्वीकृति की

प्रक्रिया के खण्ड संख्या–12 में ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले एक त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावें को स्वीकार नहीं किया जाएगा। **अपरिहार्य कारणों से हुए विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।** अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर संस्तुति प्रदान की गई।

कार्यवाही– जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़।

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों से उनकी समस्याओं एवं प्रस्तावों से अवगत होने के उपरान्त सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक का समापन किया गया।

सदस्य/सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति,
पिथौरागढ़।

प्रभारी जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति

कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।

पत्रांक /उ0मि0बैठक/2022–23 दिनांक 01/11/2022

प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।
4. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. अग्रणी बैंक अधिकारी, पिथौरागढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ़।
8. असिस्टेंट कमिशनर, व्यापार कर, पिथौरागढ़।
9. समस्त सदस्य, जिला उद्योग मित्र समिति, पिथौरागढ़।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।